		हुक्म की तामील में जारी हुए
26.11.18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र 212 राज0टी0ऐक्ट पेश हुई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है:– कि अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थी का सगा भाई है जो काश्तकार पेशा व्यक्ति है ग्राम भदलाव में स्थित आराजीयात ख0नं0 255 रकबा 0.4200 है0 ख0नं0 259 रकबा 0.4100 है0 ख0नं0 280 रकबा 0.4600 है0ख0नं0 280/1470 रकबा 0.0100 है0 कुल किता चार रकबा 1.3000 है0 है वाके ग्राम भदलाव मे स्थित है जिस पर प्रार्थी का अपने जीवन काल से की कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात प्रार्थी के ही राजस्व रिकार्ड में चली आ रही है लेकित उक्त आराजीयात प्रार्थी के खातेदारी एवं काश्त की थी जो संपूर्ण खसरा नम्बर प्रार्थी के ही थे लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने षडयंत्र रचकर फर्जी रूप से उक्त आराजीयात में राज़स्व रिकार्ड में प्रार्थी के साथ अपना नाम राजस्व रिकार्ड में जुडा लिया जबकि उक्त आराजीयात तो प्रार्थी के ही कब्जे काश्त की है एवं पूर्वजो के समय से ही प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात रही है एवं प्रार्थी ही काश्त करता आ रहा है अप्रार्थी संख्या एक का उक्त आराजीयात से कोई लेना–देना नही है जिसके बावजूद भी राजस्व अधिकारीयों से मिलकर अप्रार्थी सं0 एक ने उक्त आराजीयात के रिकार्ड में अपना नाम जुडवाकर 1/2 हिस्से पर काबिज होने के लिए आमादा है। प्रार्थी द्वारा उक्त रिकार्ड दिनांक 2.6.2014 को हल्का पटवारी से अपने खाते की जमाबंदी प्रार्थी ने निकलवायी तो पता चला कि अप्रार्थी ने अपना नाम प्रार्थी की खातेदारी में जुडवा लिया ओर 1/2 हिस्से पर काबिज होने के लिए आमादा है एवं दिनांक 3.7.14 को पुनः नई जमाबंदी पटवारी हल्का भदलाव से निकलवायी तो राजस्व रिकार्ड में गोविन्दा का नाम अंकित मिला इसलिये उक्त वाद कारण उत्पन्न हुआ। यह कि उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या एक का 1/2 हिस्से का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है लेकिन गलत रूप से नाम अंकित कराकर प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामीत्व एवं खातेदारी की उक्त आराजीयात को अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नाजायज रूप से हडपना चाहता है इसलिये उक्त अप्रार्थी एक का नाम राजस्व रिकार्ड से पृथक किया जावे एवं अप्रार्थी संख्या एक का नाम हज्फ फरमाया जावे। अतः प्रा0पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थी को पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी की कृर्षि भुमि सेपरेट को किसी दीगर को रहन बेचना इत्यादि नही करे। अप्रार्थी संख्या एक की और जो जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय काउन्टर टी0आई0 पेश किया कि ख0नं0 255 रकबा 0.4200 है0 ख0नं0 259 रकबा 0.4100 है0 ख0नं0 280 रकबा 0.4600 है0ख0नं0 280/1470 रकबा 0.0100 है0 कुल किता चार रकबा 1.3000 है0 है वाके ग्राम भदलाव तहसील स0मा0 के पुराने ख0नं0 519/21 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा प्रार्थी व मुझ अप्रार्थी नं0 1 की 1/2,1/2 हिस्सा की रिकोर्डेड खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीया है इन आराजीयात में मुझ अप्रार्थी नं0 1 का हिस्सा दिनांक 4.11.1993 को सहायक भू.प्रबन्धक सवाई माधोपुर के यहा प्रार्थना पत्र व इकरारनामा प्रार्थी द्वारा इस आशय का पेश किया था कि हम दोनो सगे भाई है जिस पर दोनो का बराबर बराबर का हिस्सा है। रिकार्ड में मेरे भाई गोविन्दा का नाम भी दर्ज किया जावें। इस प्रार्थना पत्र के आधार पर सहायक भू.प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर ने दिनांक 4.11.93 को उपरोक्त आराजीयात में मुझ अप्रार्थी गोविन्दा का नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये इस फैसले के आधार	

[illegible] पर भी प्रतिवादी इस भूमि में [illegible] की स्वतः ही हो जाता है इस प्रकार मुझ अप्रार्थी इन आराजीयात का 1/2 हिस्से का खातेदार हिस्सा का रिकोर्डेड काबिज खातेदार है इसमें अप्रार्थी ने कोई साज कर अपना नाम चढवाया है बल्कि स्वयं प्रार्थी ने ही राजी खुशी व सहमति से अप्रार्थी का नाम दर्ज करवाया है जो स्वयं के द्वारा स्वीकार करने के पश्चात प्रार्थी अपने कथन व कृत्य से स्टाप्ड है। इन आराजीयात में अप्रार्थी का हिस्सा प्रार्थी की सहमति से सहायक भूप्रबन्ध क अधिकारी के फैसले से दर्ज किया गया है इस प्रकार सहमति से निर्णय होने के पश्चात माननीय न्यायालय को इस प्रार्थना पत्र की सुनवाई का कोई अधिकार नही है। प्रा0पत्र गलत पेश किया होने से खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या एक ने काउन्टर टी0आई0 प्रा0पत्र पेश किया कि ख0नं0 255 रकबा 0.4200 है0 ख0नं0 259 रकबा 0.4100 है0 ख0नं0 280 रकबा 0.4600 है0ख0नं0 280/1470 रकबा 0.0100 है0 कुल किता चार रकबा 1.3000 है0 है वाके ग्राम भदलाव तहसील स0मा0 के पुराने ख0नं0 519/21 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा प्रार्थी व मुझ अप्रार्थी नं0 1 की 1/2,1/2 हिस्सा की रिकोर्डेड खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीया है। इस प्रकार प्रार्थी मुझ अप्रार्थी की भूमि को हडप करने पर आमादा हो रहा है उसने मुझ अप्रार्थी के विरूद्व झूंठा वाद पत्र पेश किया है वह मौके पर जाकर अप्रार्थी के हिस्से की भूमि व कब्जे काश्त में दखल कर सकता है इसलिए अप्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया कि अपने अधिकारो की रक्षा कराने के लिए वादी के विरूद्व काउन्टर प्रा0पत्र पेश कर वादी को स्थाई निषेधाज्ञ के आदेश से पाबन्द करावे कि वह उपरोक्त भूमियों में अप्रार्थी के 1/2 हिस्से की भूमियों में अप्रार्थी के कब्जा,काश्त,उपयोग,उपभोग में कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही अपने परिवार के सदसय,रिश्तेदार,नौकर एजेन्ट के मार्फत करावें। चूंकि काउन्टर वाद के निर्णय में अभी समय लगेगा इसलिए त्वरित रिलिफ प्राप्त करने के लिए यह काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर निर्धाररित न्याय शुल्क व अन्दर मियाद पेश शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रा0पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे तथा अप्रार्थी नं0 1 को स्पेशल कोस्ट 5000/- रूपये प्रार्थी से दिलाए जावे व अप्रार्थी का काउन्टर प्रा0पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को काउन्टर वाद पत्र के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश से पाबन्द फरमाया जावे कि वह ख0नं0 255 रकबा 0.4200 है0 ख0नं0 259 रकबा 0.4100 है0 ख0नं0 280 रकबा 0.4600 है0ख0नं0 280/1470 रकबा 0.0100 है0 कुल किता चार रकबा 1.3000 है0 है वाके ग्राम भदलाव तहसील स0मा0 मुझ अप्रार्थी नं0 1 की 1/2 हिस्सा की रिकोर्डेड खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीया अप्रार्थी के कब्जा,काश्त,उपयोग,उपभोग में कोई बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही अपने परिवार के सदस्य,रिश्तेदार,नौकर एजेन्ट के मार्फत करावें।

जिसका प्रार्थीगण ने जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी0आई0प्रा0पत्र खारिज किया जावे वह हर्जा खर्चा 5000/- रूपये गोविन्दा से दिलाया जावे।

हमने उभय पक्ष के वकुलाये फरीकेन की बहस सुनी गई। साथ ही संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन व मनन किया गया। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो पर भी गौर किया गया । बहस सुनने तथा अवलोकन व मनन करने के पश्चात् यह पाया कि दोनो ही पक्ष विवादित भूमि के रिकार्डेड सह खातेदार काश्तकार है तथा उनके मध्य अभी तक नियमानुसार भूमि का विभाजन भी नही हुआ है ऐसी सूरत में विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने व आराजीत के किसी भी भाग को रहन बेचान व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करने हेतु दोनो पक्षो को [illegible]

जाना उचित प्रतीत होता है। और इसी अनुरूप प्राईमापेशी केश साबित होना मानते हुये अपूरर्णिय क्षति व सुविदा संतुलन का बिन्दु दोनो पक्षों के पक्ष में उपरोक्तनुसार साबित होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी0आई0प्रा0पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर उभय पक्षो को ताफैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ख0नं0 255 रकबा 0.4200 है0 ख0नं0 259 रकबा 0.4100 है0 ख0नं0 280 रकबा 0.4600 है0ख0नं0 280/1470 रकबा 0.0100 है0 कुल किता चार रकबा 1.3000 है0 है वाके ग्राम भदलाव तहसील स0मा0 को रहन बेचान व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे एवं मौका व राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। आदेश सुनया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावे की पत्रावली के संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर (मु0)
सवाई माधोपुर